संख्या- 3/1049 /43-1-2014-7(2)2013

प्रेषक

एस0एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निरीक्षक,
राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 6 अगस्त, 2014

विषय: अनुदान संख्या–46 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट में प्राविधानित के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने (लेखानुदान द्वारा स्वीक़ृति धनराशि को घटाते हुए) तथा प्राविधानित धनराशि को मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीक़ृति_प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-447/43-1-2014-7(2)2014, दिनांक 22 अप्रैल,2014 एवं संशोधन आदेश संख्या-571/43-1-2014-7(2)2014, दिनांक 29 अप्रैल, 2014, जिसके द्वारा लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 3,09,02,000/- के सापेक्ष 4/12वाँ भाग अर्थात रू0 1,03,01,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय के विभिन्न मानक मदों में पुनरीक्षित प्राविधानित धनराशि रू0 3,09,02,000/- (रूपये तीन करोड़ नौ लाख दो हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2,06,01,000/- (रूपये दो करोड़ छः लाख एक हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न

http://shasanadesh.up.nic.in

किया जाय।

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन एलॉटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हों, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जनू, 1994 एवं दिनांक 24-10-2013 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित0–1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्र्डस फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग संलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय व्रर्ष 2014–15 की अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय -03- कार्यालय निरीक्षणालय के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22-7-2014 के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
4- लेखाकार, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, इलाहाबादा
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
8- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

आज्ञा से,

रमाकान्त सिंह
उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 1049 /43-1-2014-7(2)2013, दिनांक 6 अगस्त, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखानुदान से पारित/अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
01-वेतन	13048	4349	8699
02-मजदूरी	18	6	12
03-महँगाई भत्ता	13700	4567	9133
04-यात्रा व्यय	1000	333	667
05-स्थानान्तरण् यात्रा व्यय	20	7	13
06-अन्य भत्ते	1435	478	957
07-मानदेय	1	1	--
08-कार्यालय व्यय	120	40	80
09-विघुत व्यय	70	23	47
10-जलकर/जलप्रभार	20	7	13
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	80	27	53
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50	17	33
13-टेलीफोन पर व्यय	20	7	13
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100	33	67
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40	13	27
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	33	67
18-प्रकाशन	30	10	20
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत	--	--	--
29-अनुरक्षण	200	67	133
42-अन्य व्यय	--	--	--
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	60	20	40
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	33	67
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	350	117	233

http://shasanadesh.up.nic.in

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	70	23	47
49-चिकित्सा व्यय	250	83	167
51-वर्दी व्यय	20	7	13
योग -	30902	10301	20601

(रू0 दो करोड़ छः लाख एक हजार मात्र)

रमाकान्त सिंह
उप सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in